ECI to facilitate postal voting for elderly, PwD, and service voters in Bihar polls

Agencies
New Delhi

The Election Commission of India (ECI) on Wednesday said it would facilitate elderly, PwD and service voters to vote using postal ballot in the Bihar Assembly elections.

The poll panel said as per Section 60 (c) of the Representation of the People Act, 1951, it has notified that electors above the age of 85 years and electors with benchmark disabilities may cast their vote through postal ballot.

"Such electors can avail this facility using Form 12 D and submit to the Returning Officer through their BLO within five days of issuance of notification of election. Polling teams will collect their votes at their homes," it said.

BJP in-charges for Bihar polls Dharmendra Pradhan and K.P. Maurya, BJP in-charge of Bihar Vinod Tawde, State Deputy Chief Minister Samrat Choudhary and State BJP President Dilip Jaiswal and senior leader Ravi Shankar Prasad during a meeting at the party office, in Patna, Wednesday.

15 SEATS OR I WON'T CONTEST: MANJHI

Ahead of the Bihar election, BJP ally Jitan Ram Manjhi has said that if his party, Hindustan Awam Morcha, is not given 15 seats to contest, it won't fight the elections at all. The former CM, however, has made it clear that it would stay in the NDA camp.

CONGRESS MLA MURARI GAUTAM RESIGNS

Former Bihar Minister Murari Prasad Gautam on Wednesday resigned as MLA ahead of the assembly elections in the state. Speculations are rife that he may join the BJP. "There is no specific reason behind my resignation from the membership," he said.

MORE ON BIHAR ASSEMBLY ELECTIONS

- CM face confusion in MGB, seat chaos in NDA - decoding political drama.
- Differences emerge in NDA over seat sharing
- NDA, INDIA bloc hold marathon talks to resolve seat-sharing tussle

पंजाब केसरी
THU,09 OCTOBER 2025
EDITION: JAIPUR, PAGE NO. 1

अंता विधानसभा उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार

नरेश मीणा निर्दलीय चुनाव लड़े तो कांग्रेस को हो सकता है नुकसान

भाजपा की राह आसान

भाजपा प्रत्याशी पर फिलहाल सस्पेंस, राजे के सुझाव पर हो सकता है अंतिम फैसला

योगेंद्र भदौरिया

जयपुर, 8 अक्टूबर : अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर सूबे में सियासी पारा लगातार बढ़ने लगा है। कांग्रेस ने बुधवार को अपने प्रत्याशी का ऐलान करते हुए पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया पर दांव लगाया है। वहीं नरेश मीणा निर्दलीय ताल ठोंकने का दावा करते नजर आ रहे हैं। भाजपा की ओर से स्थानीय नेताओं को टिकट देने की मांग तेज हो रही है लेकिन अभी तक पार्टी ने किसी के नाम पर मुहर नहीं लगाई है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का एरिया होने के चलते संभवत : उनकी पसंद या उनके सुझाव के नाम पर ही मुहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है। भाजपा में टिकट की रेस में एक दर्जन दावेदारी ठोंक रहे हैं।

देवली-उनियारा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव में उतरकर नरेश मीणा ने कांग्रेस प्रत्याशी की हार तय कर दी थी। अंता सीट के लिए एक बार फिर नरेश मीणा के नाम की सुगबुगाहट के साथ ही एक वर्ग उनकी टिकट के लिए पैरवी भी कर रहा था। बुधवार को प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से डिस्कसन किया।

देवली-उनियारा में नरेश ने कांग्रेस को पहुंचाया था नुकसान, अब अंता में भी यही स्थिति निर्मित होने की संभावनाएं, आरएलडी भी तलाश रही संभावनाएं

मुद्दे

बुनियादी ढांचा, रोजगार और कृषि, चुनावी नतीजों को प्रभावित करेंगे, तो स्थानीय प्रत्याशी को टिकट देना भी एक बड़ा मुद्दा है।

वोटर लिस्ट

कुल मतदाता	2,27,563
पुरुष वोटर	116405
महिला वोटर	111154
ट्रांसजेंडर	4

प्रमोद जैन भाया की प्रोफाइल

प्रमोद जैन भाया की गिनती हाड़ौती के दिग्गज नेताओं में होती है। भाया गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भाया अंता से चुनाव लड़ते आए हैं। साल 2013 में उन्हें भाजपा प्रत्याशी प्रभु लाल सैनी हार मिली थी, जबकि साल 2018 में प्रमोद जैन भाया ने सैनी को मात दे दी थी। हालांकि 2023 में उन्हें फिर बीजेपी के कंवर लाल मीणा से हार का सामना करना पड़ा था। भाया को कांग्रेस ने पांचवी बार टिकट दिया है। हालांकि भजन सरकार में उनके खिलाफ दर्ज मामलों से उनकी इमेज अवश्य प्रभावित हुई है।

आरएलडी भी तलाश रही संभावनाएं

आरएलडी भी उपचुनाव में कूदने की संभावनाएं तलाश रही है। इसको लेकर प्रदेश इकाई ने केंद्रीय नेतृत्व के पास प्रस्ताव भेजा है। बताया जा रहा है कि उनके संपर्क एक बड़ा चेहरा है और वह उसको टिकट देने की सोच रही है। बड़े चेहरे के रूप में नरेश मीणा के नाम की अटकलें लगाई जा रही हैं।

अंता सीट भाजपा-कांग्रेस के बीच टाई

वर्ष	चुने गये विधायक का नाम	पार्टी
2008	प्रमोद कुमार जैन (भाया)	कांग्रेस
2013	प्रभूलाल सैनी	भाजपा
2018	प्रमोद कुमार जैन (भाया)	कांग्रेस
2023	कंवर लाल मीणा	भाजपा

अंता उपचुनाव की हार-जीत सरकार का पर्सेप्शन तय करेगी

अंता सीट पर उपचुनाव के नतीजों से सरकार की सेहत पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे पर्सेप्शन सेट होगा। अंता सीट पर अगर भाजपा जीतती है तो इसे सरकार के काम पर जनता की मुहर के तौर पर पेश किया जाएगा। अगर भाजपा यह सीट हार जाती है, तो विपक्ष को हमलावर होने का मौका मिलेगा।

कल हो सकती भाजपा कोर कमेटी की बैठक

पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, नंदलाल सुमन, प्रखर कौशल, पूर्व जिलाध्यक्ष आनंद गर्ग, पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा की पत्नी भगवती देवी, पूर्व विधायक नरेंद्र नागर, महावीर सिंह हाड़ा, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रघुवीर सिंह कौशल के पौत्र के नाम चर्चा में हैं। हालांकि एक वर्ग विशेष नरेश मीणा के लिए कोशिश कर रहा है। इस सीट के लिए भाजपा ने सांसद दामोदर अग्रवाल को प्रभारी बनाया है। कोर कमेटी की बैठक शुक्रवार को हो सकती है। पूर्व मंत्री भाया पर पूर्ववर्ती सरकार के समय उनके अपने सांगोद विधायक स्व. भरत सिंह कुंदनपुर खुलकर बजरी माफिया जैसे आरोप लगाकर उन पर तीखा हमला बोलते रहे। कार्रवाई नहीं होने पर मुंडन तक करा लिया था। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पहुंचने पर उनसे मुलाकात नहीं कर अपनी नाराजगी सार्वजनिक की थी।

पंजाब केसरी
THU,09 OCTOBER 2025
EDITION: JAIPUR, PAGE NO. 4

अंता विधानसभा उपचुनाव : आचार संहिता पालन के लिए 12 फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात

- शिकायतों का निस्तारण होगा 100 मिनट के अंदर, तबादले पर पूर्ण प्रतिबंध
- बिना अनुमति किसी भी घर पर नहीं लगाए जाए झंडे और बैनर

जयपुर, 8 अक्टूबर (विशेष संवाददाता) : अंता विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर लागू आचार संहिता का पालन कराने के लिए क्षेत्र में 12 फ्लाइंग स्क्वाड तैनात की गई हैं। वहीं आने वाली शिकायतों का निस्तारण करने का समय 100 मिनट तय किया गया है। अंता में 11 नवंबर को वोटिंग एवं 14 नवंबर को काउंटिंग होने का प्रोग्राम चुनाव आयोग पहले ही जारी कर चुका है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने आचार संहिता का सख्ती से पालन करने के निर्देश देते हुए कहा कि अंता विधानसभा क्षेत्र से संबंधित किसी भी घोषणा या नीतिगत निर्णय के संदर्भ में आचार संहिता केंद्र सरकार पर भी लागू होगी। उन्होंने बताया कि आयोग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि सरकारी, सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति से प्रचार सामग्री हटाने, किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा सरकारी वाहनों या आवासों के दुरुपयोग को रोकने तथा सार्वजनिक धन से विज्ञापन जारी करने पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित किया जाए। आयोग ने कहा है कि नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए। किसी भी निजी आवास के बाहर धरना या प्रदर्शन नहीं किया जाएगा तथा बिना स्वामी की अनुमति के किसी भी भूमि, भवन या दीवार पर झंडे, बैनर या पोस्टर नहीं लगाए जाएंगे। साथ हीं चुनाव प्रक्रिया से संबंधित किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के तबादले पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों एवं सेवा मतदाताओं को मिलेगी डाक मतपत्र सुविधा

अंता विधानसभा उपचुनाव में 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता तथा मानक दिव्यांगता वाले मतदाता डाक मतपत्र (पोस्टल बेलेट) के माध्यम से अपना मत दे सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि ऐसे मतदाता फॉर्म 12 डी का उपयोग कर मतदान की अधिसूचना जारी होने के पाँच दिनों के भीतर अपने बीएलओ के माध्यम से संबधित रिटर्निंग ऑफिसर को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। मतदान दल उनके घर जाकर मत एकत्र करेंगे। इसके अतिरिक्त, मतदान दिवस पर आवश्यक सेवाओं में कार्यरत कर्मचारी भी अपने विभाग के नामित नोडल अधिकारी के माध्यम से डाक मतपत्र सुविधा हेतु आवेदन कर सकते हैं। इस सुविधा में अग्निशमन सेवा, स्वास्थ्य सेवा, विद्युत, यातायात, एंबुलेंस सेवा, विमानन, लंबी दूरी की सरकारी परिवहन सेवाएं आदि शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित मीडिया प्रतिनिधियों को भी मतदान दिवस पर डाक मतपत्र सुविधा के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं के अनुपस्थित मतदाता के रूप में शामिल किया गया है। सेवा मतदाताओं को उनके डाक मतपत्र के माध्यम से संबधित रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रत्याशियों की सूची के अंतिम रूप से तय होने के तुरंत बाद भेजे जाएंगे। सेवा मतदाताओं को डाक खर्च वहन नहीं करना होगा।

1950 व सी विजिल ऐप पर दर्ज करा सकेंगे शिकायत

महाजन ने बताया कि शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए आयोग ने 1950 नंबर पर कॉल सेंटर सहित एक शिकायत मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया है, जो 24 घंटे, सातों दिन चालू रहेगा। नागरिक या राजनीतिक दल इस नंबर पर या संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ)/रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) को शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही सी-विजिल ऐप के माध्यम से भी आचार सहिता उल्लंघन की रिपोर्ट दी जा सकती है।

सभा, जुलूस, रैली की जानकारी पहले दें

आयोग ने राजनीतिक दलों को अपने सभा, जुलूस या रैली की जानकारी पूर्व में पुलिस प्रशासन को देने के निर्देश दिए हैं ताकि यातायात और सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की जा सके। ध्वनि-विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए आवश्यक अनुमति लेना भी अनिवार्य रहेगा। मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने सरकारी कार्यों को चुनाव प्रचार से न जोड़ें और न ही सरकारी मशीनरी, वाहन या कार्मिकों का उपयोग प्रचार कार्यों में करें। सार्वजनिक स्थल जैसे मैदान एवं हेलिपैड सभी राजनीतिक दलों को समान शर्तों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए सुविधा मॉड्यूल ईसीआईनेट पर सक्रिय कर दिया गया है।

दैनिक नवज्योति
jaipur city - 09 Oct 2025 - Page 4

अंता उपचुनाव में आचार संहिता की सख्ती से पालना के निर्देश: महाजन

नवज्योति, जयपुर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि अंता विधान सभा उपचुनाव की तिथियों की घोषणा के साथ ही बारां जिले में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि आचार संहिता का सख्ती से पालन किया जाए।

महाजन ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि अंता विधानसभा से संबंधित किसी भी घोषणा या नीतिगत निर्णय के संदर्भ में आचार संहिता केन्द्र सरकार पर भी लागू होगी। आयोग ने कहा है कि नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए। किसी भी निजी आवास के बाहर धरना या प्रदर्शन नहीं किया जाएगा तथा बिना स्वामी की अनुमति के किसी भी भूमि, भवन या दीवार पर झंडे, बैनर या पोस्टर नहीं लगाए जाएंगे। शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए आयोग ने 1950 नंबर पर कॉल सेंटर सहित एक शिकायत मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया है, जो 24 घंटे, सातों दिन चालू रहेगा। इसके साथ ही सी-विजिल ऐप के माध्यम से भी आचार संहिता उल्लंघन की रिपोर्ट दी जा सकती है। अंता विधानसभा क्षेत्र में 12 फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात किए गए हैं ताकि प्राप्त शिकायतों का निस्तारण 100 मिनट के भीतर किया जा सके। चुनाव प्रक्रिया से संबंधित किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के तबादले पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।